



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 516]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 2014/फाल्गुन 9, 1935

No. 516]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 2014/PHALGUNA 9, 1935

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2014

का.आ. 605(अ).—केन्द्रीय सरकार, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिवेद्य और उनका युनर्वीस अधिनियम, 2013 (2013 का 25) की धारा 29 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की, भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक का.आ. 89(अ), तारीख 13 जनवरी, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के पैरा ए में, मद (iv) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(v) श्री नारायण, भूतपूर्व महापौर, मैसूरु तथा अध्यक्ष, कर्नाटक राज्य हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का संगम, मैसूरु"।

[फा.सं. 12015/3/2008-एससीडी-IV]  
संजीव कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND  
EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2014

S.O. 605(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 29 of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (No. 25 of 2013), the Central Government hereby makes the following amendment to the notification of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Social Justice and Empowerment published vide number S.O. 89(E), dated the 13th January, 2014 in the Government of India Gazette, namely:—

In para G of the said notification after (iv), the following item shall be inserted:—

"(v) Shri Narayan, Ex-Mayor, Mysore and President, Karnataka State Scavengers Association, Mysore".

[F. No. 12015/3/2008-SCD-IV]  
SANJEEV KUMAR, Jt.Secy.